262
10.50

संख्या– 52 /XXXVI(1)/2017-139 एक/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी, 2017**

विषय– जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं0–84/XXXVI(1)/139 एक/2002 दिनांक 10.02.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–38 एक(1)/न्याय विभाग/03 दिनांक 22.07.2003 के द्वारा जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु **सृजित 09 अस्थायी संवर्गीय पदों** की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये **दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढाये** जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तो सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।

3– उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–06–रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–1270/76–दस दिनांक 20.07.1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे है।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या– 52 /XXXVI(1)/ 2017-139 एक/2002 तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव